हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख

18/6/20 पत्रावली पेश हुई। ~~उभय पक्ष उपस्थित~~
पीठासीन अधिकारी कोविड-19 में होने
से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में आयन्दा
दिनांक 15/7/20 को पेश हो।

15/7/20 पत्रावली पेश हुई। ~~आज वकील अवकाश~~
द्वारा कोविड करने से पत्रावली
आयन्दा दिनांक 30/7/20 को पेश हो।

30/7/20 पत्रावली पेश हुई। ~~आज वकील अवकाश~~
द्वारा कोविड करने से पत्रावली
आयन्दा दिनांक 20/8/20 को पेश हो।

20/8/20 पत्रावली पेश हुई। ~~आज वकील अवकाश~~
द्वारा कोविड करने से पत्रावली
आयन्दा दिनांक 16/9/20 को पेश हो।

16/9/20 पत्रावली अप्रार्थी सं. 1 से 6 व 12 से 17
के जवाब हेतु दि. 7/10/20 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

7/10/20 पत्रावली पेश हुई। ~~उभय पक्ष उपस्थित~~
पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने
से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में आयन्दा
दिनांक 21/10/20 को पेश हो।

21/10/20 उभय पक्ष उप० के जवाब हेतु
अप्रार्थी सं. 1 से 6 व 12 से 17 [illegible] पत्रावली दिनांक
अंतिम मौका दिया जाकर
5/11/20 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

5/11/20 पत्रावली पेश। उभय पक्ष उप०।
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र U/S 251
राज० काश्तकारी अधि० का अवलोकन
करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा
अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर
141, 142, 143, 144 पर आने जाने
के लिए पुरक रास्ता खसरा
स्थित राजस्व रेकर्ड में खसरा
नंबर 155 गैर मु० रास्ता पर अप्रार्थीगण
संख्या 1 से 17 द्वारा की गई
चारों ओर बाड़ से अवरोध करी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:58:06 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हटाने व रुकावट न डाले जाने का कथन किया है।

चूंकि U/S 251 राज0काश्तकारी अधि0 के तहत राजस्व रेकार्ड में दर्ज एवं मौका पर स्थित रास्ता पर से अतिक्रमण हटाने एवं आने जाने मे रुकावट न डाले जाने संबंधित प्रकरण को सुनने का ~~[illegible]~~ क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है।

उक्त प्रकरण का क्षेत्राधिकार तहसीलदार न्यायालय को है।

अतः उक्त प्रकरण को सक्षम न्यायालय मे पेश करने के निर्देश के साथ ही उक्त प्रकरण की कार्यवाही को ड्रोप किया जाता है।

फाईल फैसल शुमार होकर नकल से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:58:06 IST
Reason: SelfAttested